झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–26/2020

संजीव गोप उर्फ संजू गोप उर्फ काड़ा .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री के0एस0 नन्दा, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री बीरेंद्र वर्मन, ए0पी0पी0।

02/15.01.2020 श्री के0एस0 नन्दा, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री बीरेंद्र वर्मन, राज्य की ओर से विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता को गुमला थाना काण्ड संख्या 353/2019 के संबंध में आरोपी बनाया गया है।

यह आरोप लगाया गया है कि एक संजय टाइगर और याचिकाकर्त्ता को पकड़ा गया था और याचिकाकर्त्ता के कब्जे से एक देशी लोडेड पिस्तौल और एक जिन्दा कारतूस बरामद किया गया था।

याचिकाकर्त्ता के खिलाफ कथित अपराध की प्रकृति के संदर्भ में, मैं याचिकाकर्त्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। याचिकाकर्त्ता की जमानत के लिए प्रार्थना इस स्तर पर खारिज कर दी जाती है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)